केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दूरभाष सं.-011-28524993, 28524995, 28520979, 28520966

वेबसाईट-www.sanskrit.nic.in

अधिसूचना संख्या- के.सं.वि./36014/विज्ञापन/योजना-I/2023-24/01 दिनांक- 07.07.2023

संस्कृत संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

संस्कृत संवर्धन हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा क्रियान्वित भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित **केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एन.जी.ओ./स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं/ विश्वविद्यालय/प्रकाशक/वैयक्तिक/छात्र द्वारा** ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है-

क्रम संख्या	योजना का नाम	ऑनलाईन पंजीकरण	
		आरम्भ तिथि	अन्तिम तिथि
1.	**संस्कृत शिक्षण** - पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों/सरकारी विद्यालयों/ चतुष्पाठी संस्थाओं में शिक्षण हेतु संस्कृत एवं आधुनिक विषय के शिक्षकों की व्यवस्था तथा आवासीय छात्रवृत्ति।	10.07.2023	08.09.2023
2.	**सम्मान राशि** - अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले प्रख्यात संस्कृत पण्डितों हेतु वार्षिक वृत्ति।		
3.	**संस्कृत संवर्धन कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ** - विभिन्न संस्कृत संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।		
4.	**संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, थोक खरीद और दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों के पुनर्मुद्रण**		
5.	**शास्त्र चूड़ामणि** - संस्कृत शास्त्र शिक्षण हेतु शास्त्र विद्वानों की अथवा सेवानिवृत्त संस्कृत विद्वानों की सेवाओं की उपयोगिता।		
6.	**व्यावसायिक प्रशिक्षण** - पंजीकृत पारम्परिक संस्कृत संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के प्रशिक्षण।		
7.	**अष्टादशी** - संस्कृत संवर्धन हेतु अठारह परियोजनाएं (निर्धारित क्षेत्रों में ही आवेदन आमन्त्रित है।)		
8.	**छात्रवृत्ति** - पारंपरिक एवं आधुनिक धारा में नियमित रूप से 9वीं कक्षा से पी.एच.डी. तक संस्कृत/पालि/प्राकृत भाषा को अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति।	10.07.2023	31.10.2023

उपर्युक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम से ही (online mode only) स्वीकार्य हैं। अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रकाशनसामग्री/पुस्तक/आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सप्रमाणित ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति के सहित पृथक से पंजीकृत डाक (Registered Post) द्वारा दिनांक 20.09.2023 तक **"निदेशक (केन्द्रीय योजनाएँ), ... (योजना का नाम) ....., केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, 56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058** को उपलब्ध कराना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्रपूरित करने से पूर्व प्रत्येक योजना के दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़े। प्रत्येक योजना के दिशानिर्देश, आवश्यक दस्तावेज, मानदेय राशि, ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र को अग्रसारित करने की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वैबसाईट **www.sanskrit.nic.in/schemes** पर अवलोकन करें। योजना के नियमानुसार विगत वर्षों में अनुदानग्राही संस्थाओं को स्वत: नवीनीकरण नहीं किया जाता है। अत: प्रत्येक वर्ष पृथक रूप से ऑनलाईन आवेदन जमा करना अनिवार्य है। आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति वर्ष दर वर्ष धन की उपलब्धता को आधारित करता है। अत: प्रत्येक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष अलग से आवेदन करना अनिवार्य होगा। योजना से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण या संदेह के मामले में उपरिलिखित दूरभाष या पत्र व्यवहार संकेत अथवा ई-मेल **help.schemes@csu.co.in** के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

हस्ता./-

निदेशक (केन्द्रीय योजनाएँ)